न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. : 05/2023	तारीख रजू 02.04.2024	निर्णय दिनांक 20.05.2024

सरकार बनाम उपेन्द्र

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खानपुर बडौदा ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि उपेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति गुर्जर निवासी सीतोड़ की छोटी झौपडी तह0 बामनवास ने ग्राम डिबस्या के खसरा नं. 1154 रकबा 0.05 है0 किस्म गै0मु0 नाला पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से जेसीबी चलाकर नाले पर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

गैरसायल बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा है अतः इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध अतिचार किया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। पटवारी हल्का को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 0.75/– की 50 गुना शास्ति 38/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जप्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-05-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर"घ" के पेज संख्या ....
पर रुपये 38/– की कायमी वर्ष
2023–24 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार